राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन जी. 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक : एफ 1( )(33)राछा/सान्याअवि/22/ 18299 जयपुर, दिनांक 22/11/2022

आदेश

विभाग द्वारा संचालित विद्यालय स्तरीय राजकीय छात्रावासों में आवासरत कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं हेतु गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी कठिन विषयों हेतु विशेष विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी की सेवाएं लिए जाने हेतु विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 7823 दिनांक 20.07.2021, दिनांक 26.11.2021 एवं आदेश क्रमांक 15638 दिनांक 25.07.2022 द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये गये है। इसके अतिरिक्त दिशा–निर्देशों में ऐसे छात्रावास जिनमें स्मार्ट एलईडी टीवी उपलब्ध करवा दी गई है, वहां ई–ज्ञान पोर्टल के माध्यम से कक्षावार 6 से 12 तक पढ़ाई के साधन उपलब्ध है को मैस रूम/स्टडी रूम में लगाकर इंटरनेट या पेन ड्राईव के माध्यम से अध्ययन करवाया जावे एवं इसकी पालना में प्रतिदिन नियमित रूप से वाट्सअप ग्रुप पर फोटो भिजवाये जायें। गैस्ट फैकल्टी द्वारा संकायवार/बोर्ड परीक्षा के अनुसार विद्यार्थियों को विषयवार यह सुविधा उपलब्ध कराने में सहयोग किया जाए।

योजनान्तर्गत विभागीय आदेश क्रमांक 7823 दिनांक 20.07.2021, दिनांक 26.11.2021 एवं आदेश क्रमांक 15638 दिनांक 25.07.2022 द्वारा पूर्व में जारी शेष दिशा–निर्देश यथावत रहेंगे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(हरि मोहन मीना)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ7 1(2)(39)राछा/सान्याअवि/22/18300-92 जयपुर, दिनांक 22/11/2022
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, समस्त।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त।
5. अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृति एवं छात्रावास) मुख्यावास।
6. उप निदेशक (आई.टी.) मुख्यावास को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वैब साईट पर अपलोड करावें।
7. सहायक निदेशक (छात्रावास) मुख्यावास।
8. उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, समस्त।
9. आदेश पत्रावली।

22.11.22
(प्रहलाद सहाय नागा)
अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृति एवं छात्रावास)

Phone no : 0141- 2220194, 2226611
Email : Sjeral_hostel@yahoo.com
1Website:-www.sje.rajasthan.gov.in